भारत सरकार

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के साथ बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 11.02.2020

NCBC/08/01/241-J/2019-KSP

बैठक में उपस्थित अधिकारीः-

1. डॉ भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, रा.पि.व.आ.
2. डॉ लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष, रा.पि.व.आ.
3. श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
4. डॉ सुधा यादव, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
5. श्री आचार्य थल्लोजु, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
6. श्री बी.के. पति, उप सचिव, रा.पि.व.आ.
7. श्री रिंकेश राय, अध्यक्ष, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
8. श्री ए.के. बोस, उपाध्यक्ष, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
9. श्री सरोज कुमार दास, सचिव, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
10. श्री तरूण कुमार, सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
11. कैप्टन ए. साहू, लाईसन ऑफिसर, ओबीसी, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
12. अन्य अधिकारी, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी के कर्मचारियों की स्थिति है?

श्री रिंकेश राय, अध्यक्ष, पारादीप पोर्ट ट्रस्टः- सर, पिछले तीन वर्षो में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी के कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार हैः-

Staff Position as on 31.03.2016, 31.03.2017, 31.03.2018 and 31.03.2019

Category/Level of Post	Total no. of Posts	Number of OBCs	% OBC
31.03.2016			
Class-I	119	13	10.92%
Class-II	48	04	8.33%
Class-III	498	38	7.63%

Class-IV	737	08	1.08%
31.03.2017 Class-I Class-II Class-III Class-IV	 107 56 459 600	 14 04 41 11	 13.08% 7.14% 8.93% 1.83%
31.03.2018 Class-I Class-II Class-III Class-IV	 106 56 399 428	 14 04 53 12	 13.20% 7.14% 13.28% 2.80%
31.03.2019 Class-I Class-II Class-III Class-IV	 103 54 484 247	 15 04 56 12	 14.56% 7.40% 11.57% 4.85%

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी के कर्मचारियों का प्रतिशत इतना कम क्यों है?

श्री रिंकेश राय, अध्यक्ष, पारादीप पोर्ट ट्रस्टः- सर, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में रिक्रूटमेंट बंद है। क्लास-I व क्लास-II में भी रिक्रूटमेंट नही हो रहा है। एंट्री लेवल में भी कई सालो से रिक्रूटमेंट नही हो पा रहा है। हमारे यहां मंत्रालय ने रिक्रूटमेंट पर बैन लगाया हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी के कर्मचारियों की प्रमोशन में क्या स्थिति है?

श्री रिंकेश राय, अध्यक्ष, पारादीप पोर्ट ट्रस्टः- सर, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी के कर्मचारियों की प्रमोशन में स्थिति निम्न प्रकार हैः-

Year	Category/Level of Post	Total No. of Employees Promoted	Number of Promoted OBCs	Percentage of OBCs Promoted
2016-17	Class-I Class-II Class-III	8 4 53	0 0 2	0% 0% 3.77%

	Class-IV	5	-	0%
2017-18	Class-I Class-II Class-III Class-IV	15 3 129 4	0 0 5 -	0% 0% 3.87% 0%
2018-19	Class-I Class-II Class-III Class-IV	8 1 60 8	1 0 3 -	12.5% 0% 5% 0%

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में तो ओबीसी के कर्मचारियों को प्रमोशन भी नही दिया जा रहा है?

श्री रिंकेश राय, अध्यक्ष, पारादीप पोर्ट ट्रस्टः- सर, प्रमोशन में ओबीसी को आरक्षण नही दिया जाता है उनका प्रमोशन सीनियोरिटी के हिसाब से ही होता है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- ओबीसी के कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट के समय पर अच्छा प्रतिशत रहता है लेकिन फिर उनको प्रमोशन नही दिया जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- लाईसन ऑफिसर बताये कि उनको कब नियुक्त किया गया है और अभी तक कुल कितनी शिकायते प्रास हुई है?

लाईसन ऑफिसर, पारादीप पोर्ट ट्रस्टः- सर, 2008 में मुझे ओबीसी का लाईसन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अभी तक केवल 1 ही शिकायत प्रास हुई है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी की वेलफेयर एसोसिएशन बनायी गयी है?

लाईसन ऑफिसर, पारादीप पोर्ट ट्रस्टः- सर, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी की कोई वेलफेयर एसोसिएशन नही बनाई गयी है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- यह तो लाईसन ऑफिसर की जिम्मेदारी है। ओबीसी की वेलफेयर एसोसिएशन बनवाना चाहिए।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट में ओबीसी के चैप्टर को शामिल किया जाता है?

श्री रिंकेश राय, अध्यक्ष, पारादीप पोर्ट ट्रस्टः- सर, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट में ओबीसी से संबंधित चैप्टर शामिल नही किया गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- यह तो नियम का उल्लंघन है ओबीसी के चैप्टर को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करना अनिवार्य है।

श्री रिंकेश राय, अध्यक्ष, पारादीप पोर्ट ट्रस्टः- सर, हम इसको आगे से वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- ओबीसी के कर्मचारियों को ट्रेनिंग पर भी नही भेजा जा रहा है। लाईसन ऑफिसर भी ठीक से अपना काम नही कर रहे है। किसी ठीक से ऑफिसर को ओबीसी का लाईसन ऑफिसर बनाया जाए। ओबीसी से संबंधित भारत सरकार के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। कुछ समय के बाद आयोग फिर से पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को रिव्यू करेगा तब तक स्थिति सही हो जानी चाहिए।

बैठक संपन्न।

(कौशलेन्द्र सिहं पटेल)

सदस्य, रा.पि.व.आ.